

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

कार्यालय आदेश-1632

सं0सं0-01-स्था0-01 / 2015

पटना, दिनांक- 22-10-2024

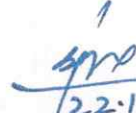
वित्त विभागीय संकल्प ज्ञाप सं0-7566, दिनांक-14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों एवं परिपत्रों के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा में सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपन्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2010 के प्रावधानों के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के का0.आ0 24/बि0सं0से0 10-14/2014 सा0प्र0 12904 दिनांक-14.08.2024 द्वारा दिनांक-24.02.2024 से अपुनरीक्षित वेतनमान वेतन बैंड रू0 9300-34800/- + ग्रेडवेतन- रू0 4800/- पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-8 में प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके आलोक में श्री अर्जुन कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का निम्न प्रकार से वेतन निर्धारित किया जाता है:-

(i)	MACP का लाभ प्रदान किये जाने की तिथि	-24.02.2024
(ii)	MACP का लाभ प्रदान किये जाने के पश्चात् प्राप्त वेतन स्तर	-लेवल-8 पुनरीक्षित वेतनमान
(iii)	दिनांक-23.02.2024 को वेतन स्तर-7 में प्राप्त मूल वेतन	-58,600/-
(iv)	दिनांक-24.02.2024 को MACP का लाभ प्रदान किये जाने के पश्चात् वेतन स्तर-8 में वेतन प्रक्रम	-58,600/-
(v)	दिनांक-13.03.2024 से दिनांक-30.06.2024 तक मूल वेतन	-58,600/-

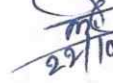
दिनांक-01.07.2024 को वेतन का पुननिर्धारण निम्नवत् है-

(vi)	दिनांक-30.06.2024 को वेतन स्तर-7 में प्राप्त मूल वेतन	-58,600/-
(vii)	दिनांक-01.07.2024 को वेतन स्तर-7 में नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में पे मैट्रिक्स के आधार पर मूल वेतन	-60,400/-
(viii)	दिनांक-01.07.2024 को MACP का लाभ के रूप में वेतन स्तर -7 में पे मैट्रिक्स के आधार पर मूल वेतन	-62,200/-
(ix)	दिनांक-01.07.2024 को वेतन स्तर-8 वेतन प्रक्रम	-62,200/-
(x)	वेतन स्तर-8 में अगली वेतन वृद्धि की तिथि	-01.07.2025

2. यह आदेश भूतलक्षी प्रभाव से प्रमाणिक मानक जाएगा।
3. यदि उक्त आदेश में कोई त्रुटि (वेतन वृद्धि या कमी) हो तो आदेश फलाफल से प्रभावी होगा।
4. उक्त आदेश में सचिव, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।


22.10.24
उप सचिव

राजस्व पर्वद, बिहार, पटना।


22/10/24